भेजना चाहिए। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदन प्रेषित करने में हुई देरी के कारण इस कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को बढ़ाया नहीं जायेगा। अनापत्ति प्रमाण के बिना भेजे गये आवेदन की अग्रिम प्रति पर भी विचार नहीं किया जायेगा। अन्तिम तिथि / समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12- **ऑन लाइन परीक्षा :–**

रेल भर्ती बोर्ड नियोजन सूचना में इंगित सभी या किसी एक कोटि की कम्प्यूटरीकृत ऑन लाइन परीक्षा करा सकता है, इस सम्बन्ध में ऑन लाइन परीक्षा के लिए विस्तृत निर्देश बुलावा पत्र के साथ अभ्यर्थी को भेजा जायेगा। उम्मीदवार को कम्प्यूटर माउस और कुंजी पटल के प्रचालन का ज्ञान होना चाहिए।

13- **विविध :–**

13.1 परिशिष्ट सहित संपूर्ण रोजगार सूचना आरआरबी, जम्मू–श्रीनगर की वैबसाइट पर उपलब्ध है उम्मीदवार परिशिष्ट सहित आवेदन फार्म एवं सूचना पत्रक का प्रिंट ले सकता है तथा आरआरबी, जम्मू–श्रीनगर को आवेदन भेजने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है।

13.2 सारे संलग्नक हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। जहां पर प्रमाण–पत्र हिन्दी / अंग्रेजी में नहीं है, स्व प्रमाणित अनुवाद (हिन्दी / अंग्रेजी में) संलग्न करना होगा। वांछित संलग्नक के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। अलग से भेजा गया उपर्युक्त कोई भी संलग्नक स्वीकार नहीं होगा।

13.3 रेलवे भर्ती बोर्ड लिखित / ऑन लाइन परीक्षा देश में कहीं भी करा सकता है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्र अन्तिम एवं मान्य होंगे।

13.4 रेलवे भर्ती बोर्ड को अधिकार है कि वह अतिरिक्त लिखित / ऑन लाइन परीक्षा / टाइपिंग दक्षता परीक्षा / साक्षात्कार / दस्तावेज सत्यापन किसी भी चरण में करा सकता है एवं इस नियोजन सूचना में इंगित किसी भी कोटि की आंशिक अथवा सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है।

13.5 पात्रता, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना, मुफ्त रेल पास का जारी करना, झूठी सूचनाओं पर दण्ड देना, चयन की विधि, लिखित / ऑन लाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन दक्षता / अभिरूचि परीक्षा, परीक्षा केन्द्र का आवंटन, चयन, चयनित अभ्यर्थियों को पद का आवंटन इत्यादि सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी पूछताछ या पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

13.6 अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को, जरूरी होने पर, भारतीय रेलवे में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

13.7 रेलवे भर्ती बोर्ड अनजाने में हुई किसी त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

13.8 इस रोजगार सूचना के सम्बन्ध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बैन्च, चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में ही की जा सकती है।

14- **छद्मरूपण / तथ्यों को छिपाना :–**

14.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में छद्मरूपण का प्रयास न करें और न इस सम्बन्ध में किसी छद्मरूपधारी व्यक्ति की सहायता न लें अन्यथा अभ्यर्थी को सभी रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने से आजीवन विवर्जित कर दिया जायेगा और साथ ही रेलवे मे किसी नियुक्ति से भी विवर्जित कर दिया जायेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

14.2 किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाने अथवा अभ्यर्थी द्वारा पात्रता प्राप्त करने क लिए और / अथवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ प्राप्त करने हेतु जाली प्रमाण–पत्र / जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी, उस भर्ती के लिए जिसके लिए उसने आवेदन किया है, रद्द हो जायेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को देश के सभी रेल भर्ती बोर्डो द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं से भी 2 वर्ष के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा तथा आवश्यक होने पर न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है।

14.3 उम्मीदवार को निम्न दशाओं में निर्दिष्ट अवधि अथवा जीवन भर के लिए आरआरबी की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। (i) उम्मीदवार एक ही पद एवं कोटि के लिए कई आवेदन दाखिल करता है। (ii) उम्मीदवार अलग–अलग समुदाय का उल्लेख करते हुए एक ही पद एवं कोटि के लिए कई आवेदन दाखिल करता है। (iii) उम्मीदवार वही पद एवं कोटि (iv) उम्मीदवार अलग–अलग दस्तावेज देते हुए एक ही पद एवं कोटि के लिए कई आवेदन दाखिल करता है।

14.4 कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाने पर अथवा परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठने के लिए भेजने पर उसे सभी रेल भर्ती बोर्डो की सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन विवर्जित कर दिया जायेगा। उसे रेलवे में कोई नियुक्ति प्राप्त करने से भी विवर्जित कर दिया जायेगा। प्राथमिकी दर्ज करा के ऐसे अभ्यर्थियों पर मुकदमा चलाया जायेगा।

15- **चेतावनी :–**

प्रभाव अथवा गलत एवं अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से नौकरी दिलाने का झूठा वादा करने वाले दलालों / धोखेबाजों से सावधान रहें। आरआरबी ने अपनी तरफ से एजेंट अथवा कोचिंग सेन्टर की नियुक्ति नहीं कर रखी है। उम्मीदवारों को किसी व्यक्ति / एंजेसी द्वारा किये जाने वाले ऐसे किसी दावे पर भरोसा न करने की चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन मात्र योग्यता के आधार पर होता है। बेईमान लोगों से सावधान रहें तथा उनके जाल में न फसें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आरआरबी को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू–श्रीनगर

परिशिष्ट - 3

जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति अभ्यर्थी हेतु

उम्मीदवारों, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति होने का दावा करता है, को अपने दावे के समर्थन में, जिला, जिसमें उसके माता–पिता (जीवित माता–पिता) समान्य रूप से निवास करते हैं, के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपमंडल मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के तौर पर निर्दिस्ट किया गया है से प्राप्त विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी अगर माता–पिता दोनों मृत हो चुके हैं तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य के अलावा समान्य तौर पर रहता है। जहां कहीं भी फोटो प्रमाण पत्र का अनिवार्य हिस्सा है, वहां आरआरबी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा, न की कोई अन्य प्रमाणित अथवा सत्यप्रति।

(भारत सरकार के अधीन पदों एवं नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी*...पुत्र / पुत्री*...............................
निवासी ग्राम / शहर...जिला / खण्ड...
प्रदेश / केन्द्र शासित प्रदेश..........................जाति / जनजाति*..से सम्बन्धित है। जो कि निम्नानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति की हैसियत से मान्यता प्राप्त है:–

- संविधान (अनुसूजित जाति) ऑर्डर, 1950, * संविधान (अनुसूचित जनजाति) ऑर्डर, 1950, * संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित प्रदेश), आर्डर 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश 1951 (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की सूची (परिवर्तित)) आदेश 1956 मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशाधित) अधिनियम 1976 के अनुसार
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जन जाति आदेश 1956
- संविधान (अण्डमान व निकोबार आइसलैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जन जाति आदेश (संशोधित) अधिनियम 1976, के अनुसार।
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964
- संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश 1978

3. श्री / श्रीमती / कु०*................................... एवं अथवा इनका परिवार सामान्यतः ग्राम / शहर*.................................... जिला / सम्भाग राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के .... निवासी है।

स्थान : ....   हस्ताक्षर : ....
दिनांक : ....   पद का नाम : ....

(कार्यालय की मुहर सहित)

(अ) कृपया जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।
(ब) कृपया राष्ट्रपति द्वारा जारी विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

नोट :– पद "सामान्यतः निवासी हैं" से तात्पर्य उसी अर्थ से होगा जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु नियोजित प्राधिकारियों की सूचीः–

1. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेड / सिटी मजिस्ट्रेट / सब डिवीजन मजिस्ट्रेट / तालूका मजिस्ट्रेट / कार्य पालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेण्ड्री मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे के न हो) / चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / एडीसनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेन्सीडेन्सी मजिस्ट्रेट। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से नीचे के न हो। 4. उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी, जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

नोट : तमिलनाडू से सम्बधित अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार राजस्व मंडल अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत करें।

परिशिष्ट - 4

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वले जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....पुत्री / पुत्री................................ .... ग्राम..............................जिला / मण्डल...राज्य...............................के..................समुदाय के है, जो पिछड़ी जाति के रूप में निम्न के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

(1) भारत सरकार के गजट में दिनांक 10 सितम्बर 1993 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/68/93 - बीसीसी, दिनांक 13 सितम्बर 1993 को अनुभाग नं० 1 नं० 186, भाग–1 में उल्लेख
(2) भारत सरकार के गजट में दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/09/94- बीसीसी, दिनांक 20 अक्टूबर 1994 को अनुभाग नं० 1, नं० 163, भाग–1 में उल्लेख।
(3) भारत सरकार के गजट में दिनांक 24 मई, 1995 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/7/95- बीसीसी, दिनांक 25 मई 1995 को अनुभाग नं० 1 नं० 88 भाग–1 में उल्लेख।
(4) भारत सरकार के गजट में दिनांक 6 दिसम्बर 1996 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/44/96 – बीसीसी, दिनांक 11 दिसम्बर 1996 को अनुभाग नं० 1 नं० 210 भाग–1 में उल्लेख।
(5) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/68/93- बीसीसी, दिनांक 8 जुलाई 1997 को सं० 129 में उल्लेखित।
(6) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/12/96 - दिनांक 1 सितम्बर 1997 को सं० 164 में उल्लेखित।
(7) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/99/94 - बीसीसी, दिनांक 11 दिसम्बर 1997 को सं० 236 में उल्लेखित।
(8) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/13/97 - बीसीसी, दिनांक 3 दिसम्बर 1997 को सं० 239 में उल्लेखित।
(9) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/12/96 - बीसीसी, दिनांक 3 अगस्त 1998 को सं० 166 में उल्लेखित।
(10) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव संव 12011/68/93 – बीसीसी, दिनांक 6 अगस्त 1998 को सं० 171 में उल्लेखित।
(11) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/68/98 - बीसीसी, दिनांक 27 अक्टूबर 1999 को सं० 241 में उल्लेखित।
(12) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/88/98- दिनांक 6 दिसम्बर 1999 को सं० 270 में उल्लेखित।
(13) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/36/99 - बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल 2000 को सं० 71 में उल्लेखित।

श्री.................और / या उसका परिवार सामान्यता...................राज्य के ....जिला / मंडल.................में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 स्थापना (एससीटी), दिनांक 08-09-1993 एवं भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004, स्थापना (रेंज) दिनांक 9.3.2004 द्वारा परिवर्तित की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित साधन सम्पन्न (क्रीमीलेयर) व्यक्तियों / वर्गों से सम्बन्धित नहीं है।

दिनांक :..   जिला मजिस्ट्रेट
मुहर   * जो लागू नहीं हो उसे काट दें।   उपायुक्त इत्यादि
अधिकारी की मुहर के साथ

विशेष ध्यान दें :– (क) यहां प्रयुक्त "सामान्य" शब्द का वही अर्थ है जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में उल्लिखित है। (ख) जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों का उल्लेख नीचे दिया गया है। (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलक्टर / प्रथम श्रेणी वितिका भोगी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वृत्तिका भोगी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो), (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो (iv) उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार रहता हो।

परिशिष्ट - 5

आरआरबी.................................... की रोजगार सूचना संख्या .... के विरूद्ध पदों के लिए आवेदन करते वक्त आवेदन के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

घोषणा पत्र

मैं..............................पुत्र / पुत्री श्री..................................निवासी..............................गांव / टाउन / शहर..................जिला.................. राज्य.................का हूं घोषणा करता हूं कि मैं ....समुदाय का हूं, जो भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/22/93 - स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 08-09-1993 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग में आता हूं। मैं यह भी घोषित करता हूं कि मैं उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 08-09-1993 एवं इसको संशोधित करते कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्थापना (रेज) दिनांक 9-3-2004 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित साधन सम्पन्न (क्रीमीलेयर) व्यक्तियों / वर्गों से सम्बन्धित नहीं हूं।

स्थान : ....   हस्ताक्षर ....
दिनांक : ....   आवेदक का नाम ....

परिशिष्ट - 6

सहायक लोको पायलट / मोटरमैन एवं सहायक स्टेशन मास्टर पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त किये जाने वाले चिकित्सा प्रमाण–पत्र का प्रारूप

मैंने श्रीमती / श्री / कुमारी...की जांच की है जिन्होंने सहायक लोको पायलट (डीजल / विद्युत) एवं सहायक स्टेशन मास्टर पद हेतु आवेदन किया है। रेलने में नियुक्ति हेतु आवश्यक निम्न मानकों के परिप्रेक्ष्य में श्री / श्रीमती...................... की दृष्टि / वर्ण दृष्टि की जांच की गई है–

नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज (4 सेमी. x 5 सेमी.) फोटो जो 3 माह से अधिक पुरानी न हो, चस्पा करें।

फोटोग्राफ के नीचे बाक्स के अन्दर हस्ताक्षर करें।

पद	वर्ग	दूरदृष्टि	अल्पदृष्टि	इशीहारा पर रंगीन दृश्य
सहायक स्टेशन मास्टर	ए-2	6/9, 6/9 बिना चश्में के (धुंध सम्बन्धी टेस्ट नहीं)	0.6 / 0.6 एस एन बीना चश्में के	सामान्य
सहायक लोको पायलट (डीजल / विद्युत)	ए-1	6/6, 6/6 बिना चश्में के (धुंध सम्बन्धी टेस्ट के साथ) (+2 डी स्वीकार्य नहीं है)	0.6 / 0.6 एस एन बीना चश्में के	सामान्य

*कृपया जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

श्री / श्रीमती / कुमारी...दृष्टि सम्बन्धी उपर्युक्त मानकों को पूरी तरह से पूरा करते है।

स्थान :   नेत्र विशेषज्ञ   पंजीकरण सं०. नेत्र विशेषज्ञ के हस्ताक्षर
दिनांक :   का नाम   नेत्र विशेषज्ञ की मुहर